



राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की आड में प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसकी कदीमी से कब्जेशुदा आवासीय सम्पत्ति से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के निर्देश नहीं दिये हैं व न ही याचिकाकर्ता ने जिला कलक्टर, सिरौही के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को उसके पुराने कब्जेशुदा आवासीय भूमि जिस पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है से बेदखल करने के आदेश पारित किया है जो विधि अनुरूप नहीं है। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में ग्राम मारोल के कई व्यक्तियों ने रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की थी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उन रिट याचिकाओं में दिनांक 02.9.2020 में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17.1.2020 को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि "खण्डपीठ रिट याचिका आदेश दिनांक 17.1.2020 में जिला कलक्टर, सिरौही को दिये गये निर्देश के बावजूद भी उक्त निर्देश का यह अर्थ नहीं है कि जिला कलक्टर, सिरौही कथित अतिक्रमियों को हटाने का आदेश देवे, बल्कि जिला कलक्टर, सिरौही संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर उनके विधिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करे।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को नजर अन्दाज कर आलोच्य आदेश पारित कर अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने रिट याचिका संख्या 222/2020 में हुए आदेश का गलत अभिवचन कर अपीलार्थी व अन्य 400 परिवारों को उनकी कब्जे शुदा भूमि व उसमें बने पक्के आवासीय मकानों से बेदखल करने पर आमदा है। ग्राम मारोल के खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 किस्म आगोर में अपीलार्थी व उनके साथ लगभग 400 परिवार पिछले 50 वर्षों से निवास कर जीवन यापन कर रहे हैं। अपीलार्थी व इन व्यक्तियों ने अपने जीवन की खून पसीने के कमाई से पक्के आवासीय मकान भी बनाये हैं। रिकॉर्ड में खसरा संख्या 262/1 की किस्म ओरण व खसरा संख्या 365 की किस्म आगोर दर्ज है, परन्तु मौके पर यह भूमि कभी भी ओरण व आगोर के रूप में उपयोग में नहीं आई है, बल्कि सदैव से ही यह भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। यह कि ग्राम मारोल में करीब 1000 बीघा भूमि चारागाह के रूप में मौजूद है। इस प्रकार गांव मारोल में मवेशियों की संख्या के अनुरूप चारागाह भूमि अनुपात में काफी अधिक उपलब्ध है। न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 257 के अन्तर्गत निर्मित नियम 7 में यह अधिकार प्राप्त है की न्यायालय ग्राम पंचायत को चारागाह की भूमि की किस्म परिवर्तित करने की कार्यवाही करने व उसके बदले दूसरी भूमि चारागाह हेतु आरक्षित करवाने हेतु निर्देशित कर सकता है। इसी तरह, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ए व 92 में भी न्यायालय को अधिकार दिये हुये हैं। यह कि विवादित खसरा संख्या 262/1 व 365 का उपयोग सदैव आवासीय हेतु किया जाता रहा है व राज्य सरकार द्वारा इसी खसरा में पटवार घर का निर्माण किया है। उक्त खसरा से लगते हुए खसरा संख्या 262 की भूमि की किस्म भी वर्ष 2009 में आबादी भूमि में परिवर्तित कर उसका प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। यह कि विवादित खसरा संख्या में अपीलार्थी लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर उस पर अपना पक्का निर्माण करवाया हुआ है तथा उसमें विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। इसी खसरा में कई अन्य व्यक्तियों को आवासीय सम्पत्ति के पट्टे भी ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा अपीलार्थी व अन्य द्वारा स्वच्छ भारत योजना के तहत पटवारी की सहमति से शौचालय का निर्माण कार्य भी करवाया हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत, मारोल द्वारा जिन व्यक्तियों को इन खसरों की भूमि में

.....तीन पर

a  
जा. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)



आवासीय पट्टे जारी किये हैं उनमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.6(39)राज-6/2001/6 दिनांक 07.6.2003 के द्वारा चारागाह भूमि पर दिनांक 1.1.1972 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के निर्देश दिये हैं। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.1.2017 तक आवास गृह बनाकर किये अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 द्वारा जारी निर्देशों के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र संख्या एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक 15.9.2017 के द्वारा समस्त जिला कलक्टरों व जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये हैं कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.9.2017 अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अर्न्तगत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये जायेंगे। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(20)राज-6/17/ दिनांक 10.7.2019 एवं विभागीय पत्र दिनांक 14.12.2017 व 20.5.2019 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण का निस्तारण करते समय यदि अतिक्रमित भूमि आबादी प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तो सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करवाकर अतिक्रमित भूमि पर उसे परिवारों की सूची बनाकर उसको नियमित करने का प्रावधान किया है एवं इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने एक परिपत्र क्रमांक प.9(6)/2020/10 दिनांक 07.9.2017 को जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि यदि किसी व्यक्ति का 300 वर्गगज तक अतिक्रमण है एवं अतिक्रमित भूमि का उपयोग आवासीय रूप में किया जाता है तो ऐसी अतिक्रमित भूमि का संबंधित व्यक्ति के पक्ष में नियमन किया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त निर्देशों व परिपत्रों की अवहेलना कर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 233/2020 में दिनांक 09.9.2020 को भी यह आदेशित किया है कि भूमिहीन व्यक्तियों के गोचर भूमि में निर्मित आवासीय मकानों को नहीं हटाया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने में बेदखल करने के कारण का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यह कि ग्राम मारोल की आधी आबादी खसरा संख्या 262/1 व 365 में बसी हुई है तथा उस पर ये लोग अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर भूमि का आवासीय उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय व ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि उक्त भूमि की किस्म को आवासीय में परिवर्तित करवाते एवं वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की जाती है तो उसमें ग्राम पंचायत, मारोल को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, इस संबंध में ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 272 के नियम 7 में दी गई शक्तियों का प्रयोग कर उक्त भूमि की किस्म आवासीय में परिवर्तित करवाने के आदेश पारित करावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट

.....चार पर

अ  
बति. जिला कलक्टर  
दिलोही (राज.)



अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 262/1 रकबा 6545 वर्गफीट किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का घर/बाड़ा बनाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाकर नोटिस की तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भ्रमस्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिकरोही